

HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

"प्रभारी पैरवी कर अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्त को 06 माह का कारावास व 5,000 रू0 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई"



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, **थाना बिवार** में पंजीकृत **मु0अ0सं0- 562/2010 धारा**— **25 आर्म्स एक्ट में** सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में **मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम**/ **गैंगस्टर एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त **भानूप्रताप पुत्र पंचमलाल नि0 बसवारी थाना मुस्करा** जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए **06 माह का कारावास व ₹5,000/- के अर्थदंड** से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-एडीजीसी श्री प्रवीण कुमार सिंह



विवेचक-उ0नि0 सन्तराम



पैरोकार- थाना बिवांर का0 प्रेम सिंह